

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय : जबलपुर
परीक्षा-सेल
// अधिसूचना //

क्रमांक- 371/परीक्षा/2016

जबलपुर, दिनांक 01/09/2016

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के विज्ञापन दिनांक 23/11/2015 के अन्तर्गत उच्च न्यायिक सेवा (प्रवेश स्तर) बार से सीधी भर्ती वेतनमान रूपये 51550-1230-58930-1380-63070 के 09 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। जिसकी मुख्य परीक्षा दिनांक 09 एवं 10/07/2016 को आयोजित की गई थी और परीक्षा का परिणाम दिनांक 01/09/2016 को घोषित किया गया है। साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.in पर अपलोड की गई है। साक्षात्कार हेतु सफल पाये गये अभ्यर्थी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.in पर दिये गये व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अनुप्रमाणन फार्म के प्रोफार्मा को डाऊनलोड कर सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण कर आवश्यक रूप से दिनांक 16/09/2016 तक स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर रजिस्ट्रार (परीक्षा), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर पिन कोड-482001 के कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करेंगे और उसके साथ नीचे दिये गये व्यक्तिगत विवरण-पत्रक, अनुप्रमाणन फार्म तथा समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों का एक सेट भी जमा करेंगे।

डाक विभाग की त्रुटि से या अन्य किसी कारणवश दिनांक 16/09/2016 की शाम 05.00 बजे तक रजिस्ट्रार (परीक्षा), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के कार्यालय में प्राप्त नहीं होने की दशा में अथवा निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त होने की दशा में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, उत्तरदायी नहीं होगा और अभ्यर्थी की साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारी निरस्त कर दी जावेगी।

- (1) व्यक्तिगत विवरण पत्रक - एक मूलप्रति एवं चार फोटो प्रति।
- (2) अनुप्रमाणन फार्म - तीन मूलप्रति में।
- (3) हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा की अंक सूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- (4) स्नातक एवं विधि की प्रत्येक वर्ष की अंक सूचियों एवं उपाधियों की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

- (5) फोटो पहचान प्रमाण पत्र जैसे मतदाता परिचय-पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, शासकीय कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- (6) शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- (7) बार काउंसिल का पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं अधिवक्ता संघ का प्रेक्टिस प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
- (8) पेनकार्ड की छायाप्रति।
- (9) ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति।

अभ्यर्थियों द्वारा भेजे गये समस्त प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा की जावेगी। जिसमें यह देखा जावेगा कि विज्ञापन में विज्ञापित समस्त अर्हताओं को अभ्यर्थी पूर्ण करते हैं अथवा नहीं। जो अभ्यर्थी विज्ञापित अर्हता एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं। उन्हे साक्षात्कार हेतु अनर्ह घोषित किया जावेगा। साक्षात्कार हेतु योग्य आवेदक, साक्षात्कार दिवस पर समस्त मूल दस्तावेज एवं मूल फोटो पहचान पत्र तथा उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रतियों का एक सेट प्रस्तुत करेंगे।

साक्षात्कार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय परिसर में स्थित कॉफ्रेन्स हॉल में आयोजित किया जावेगा। साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र एक सप्ताह पश्चात् www.mponline.gov.in से डाउनलोड कर प्रिंट ले सकेंगे। प्रवेश-पत्र पर अंकित तिथि एवं समय पर आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थिता निरस्त हो जावेगी।



१/१[ky døkj JhokLro½
fiñl iy jftLVkj ¼jh{k½



HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR
(EXAMINATION CELL)

Result of Higher Judicial Service (Entry Level) (Direct Recruitment from Bar) Main Exam-2016

Roll No. wise List of Candidates Successful for Interview/Viva voce

In Main Written Exam required Minimum Qualifying Marks for UR & OBC Category-60% and for S.C. & S.T. Category-55% marks in Total of all Four Papers.

Sr. No.	Roll No.	Applicant's Name	Cat.
1	1143	MANOJ KUMAR SHRIVASTAVA	UR
2	1164	ASHRAF ALI	UR
3	1209	YOGRAJ UPADHYAY	UR
4	1212	AJAY SINGH	UR
5	1302	RUPESH SHARMA	UR
6	1307	UTSAV CHATURVEDI	UR
7	1323	VIKAS SHARMA	UR
8	1356	SANDEEP SHARMA	UR
9	1431	MUKESH KUMAR	UR
10	1445	JASWANT SINGH YADAV	UR
11	1560	ANUJ KUMAR MITTAL	UR
12	1582	MANOJ KUMAR	UR

- Note :-**
- 1- No Other Candidates of any Category secured Required Minimum Marks prescribed for concerned category, in Main Written Exam, as per provision of Advertisement.
 - 2- As per provision of Advertisement Marks of All candidates, who appeared in Main Exam shall be disclosed only with the Final Result, after Interview.
 - 3- Interview Plan will be published very soon on the website of M.P. High Court (www.mphc.in).
 - 4- Call Letters for Interview of candidates mentioned in this list shall be generated by MPOnline on its website. Candidate who remain absent in Interview shall be treated disqualified for selection as per Advertisement.
 - 5- Hon'ble the High Court in Writ Petition No.308/2016, W.P. No.5092/2016 & R.P. No.248/2016 by order dated 29.04.2016 has made clear that all steps taken on the basis of amended provisions, will be subject to the outcome of these petitions, hence this result and further steps taken will be subject to decision of the aforementioned petitions

UMESH KUMAR SHRIVASTAVA
REGISTRAR (EXAM)

uk/ %& %bl ii = dks vkond Lo; agh di ; k ckW ikbUV is l sHkj dj ml dh 4
 Qk/ki fr; kadjkus ds i'pkr iR; d ifr ij i Fkd&i Fkd gLrk{kj dj½
 e/; i n'sk mPp U; k; ky;
 ¼ jh{k k l y½
 vkond dk 0; fDrxr foj .k&i =d
 ½dy 5 ifr; ka e½

ऑन लाईन आवेदन क्रमांक	
रोल नम्बर	

- विज्ञापन क्रमांक
- आवेदित पद का नाम
- विभाग का नाम
- आवेदक का नाम
- हिन्दी में
- अंग्रेजी में
- पिता/पति का नाम
- जन्म दिनांक (हाईस्कूल प्रमाण-पत्र के आधार पर)
 दिनांक माह वर्ष शब्दों में
- दिनांक 01.01.2016 को आयु
 वर्ष माह दिन
- जन्म स्थान,
 शहर/तहसील/जिला/राज्य
- यदि आवेदक म.प्र. का निवासी है तो कितने वर्षों से निवास कर रहा है।
- क्या आवेदक म.प्र. के लिए घोषित अनुसूचित जाति/जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति का सदस्य है, यदि हां तो जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का नाम लिखें।

यहाँ 5 सेमी. x 7 सेमी.
 आकार का स्वयं का
 फोटो चिपकायें तथा
 हस्ताक्षर करें

11. आवेदक का –

(अ) वर्तमान डाक का पता

.....

.....

.....

पिन कोड

(ब) स्थायी पता

.....

.....

.....

पिन कोड

(स) मूल निवास स्थान

.....जिला.....

12. शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं का विवरण प्रमाण-पत्रों/अंक सूचियों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।

परीक्षा का स्तर	बोर्ड/वि.वि. का नाम	शैक्षणिक संस्था का नाम	अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष/दिनांक	पूर्णांक तथा	प्रतिशत	श्रेणी	अभियुक्तियां
				प्राप्तांक			
हाईस्कूल/ मेट्रिक्युलेशन							
इंटरमीडिएट/ हायर सेकेण्डरी							
स्नातक							
एल.एल.बी.							
अन्य							

यदि विश्वविद्यालय में अथवा मंडल में आपने प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया हो तो अभियुक्तियों के तहत जानकारी दें।

13. यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा अशासकीय पद पर सेवारत हैं या पहले सेवारत रहें हों तो आवेदन करने की तारीख तक सभी पदों का पूर्ण विवरण दें।

पद का नाम	कार्यालय/संस्था/फर्म आदि का नाम व पता	नियुक्ति		कुल मासिक वेतन मंहगाई भत्ते सहित
		कब से	कब तक	

14. यदि आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो छूट का आधार तथा विज्ञापन की संदर्भित कंडिका का उल्लेख करें।
15. क्या आप भारत के नागरिक हैं ?
16. (अ) क्या आप विवाहित हैं ?
- (ब) यदि हां तो क्या आपकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं ? पति हैं ?
17. क्या आपको कभी शासकीय या अन्य सेवा से बर्खास्त किया गया, हटाया गया या किसी न्यायालय द्वारा अभियोजित (दंडित) किया गया है, या आपके विरुद्ध विभागीय जांच लंबित है, यदि हां तो विवरण दें।
18. आपको किसी उच्च न्यायालय अथवा किसी प्राधिकरण या संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा/चयन से वंचित किया गया हो तो विवरण दें।
19. आप अपने संबंध में यदि कोई विशेष जानकारी जो आपके चयन में सहायक हो, जैसे अभिरुचियों आदि के संबंध में देना चाहें तो संक्षेप में अंकित करें।

?kkSk.kk

मैं एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूं कि जहां तक मेरा ज्ञान और विश्वास है, इस जानकारी—पत्रक में मेरे द्वारा दी गई सभी प्रविष्टियां सही हैं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

(कार्यालयीन उपयोग हेतु)

e/; i nʃ k mPp U; k; ky;

(परीक्षा सेल)

vuijek.ku&QkeZ

****prkouh****

(1) अनुप्रमाणन-फार्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अनर्हता मानी जाएगी और ऐसा करने से उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकेगा। किसी भी प्रविष्टि को खाली न छोड़े। यदि वह आप पर लागू न हो तो वैसा स्पष्टतः अंकित करें।

(2) यदि इस फार्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नजरबंद या गिरफ्तार किया जाता है अथवा उस पर मुकदमा चलाया जाता है या उसे बन्दी बनाया जाता है अथवा उस पर जुर्माना किया जाता है या उसे दोष सिद्ध पाया जाता है अथवा उसे विवर्जित किया जाता है या दोषमुक्त आदि किया जाता है तो ब्यौरे, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को, जिसे अनुप्रमाणन-फार्म पहले भेजा गया हो, तत्काल सूचित किये जाने चाहिये, अन्यथा यह माना जायेगा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है। अतः यह स्वयं उम्मीदवार के हित में होगा कि वह उन मामलों के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करें, जिनमें उसे गिरफ्तार किया गया था, उस पर अभियोजन चलाया गया था, आदि भले ही मामले अन्तिम रूप में प्रतिवेदित कर दिये गये हों (खात्मा) वापस लिये गये हों, या उसमें अन्ततः दोषमुक्ति हो गई हो या समझौता कर लिया गया हो।

(3) यदि यह तथ्य कि अनुप्रमाणन-फार्म में असत्य जानकारी दी गई है या यह कि कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, किसी भी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आये, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

1	पूरा नाम – (स्पष्ट अक्षरों में) तथा, उपनाम यदि कोई हो – (यदि आपने किसी भी अवस्था में अपने नाम या कुलनाम में कुछ जोड़ा हो या हटाया हो तो कृपया उसका उल्लेख कीजिये)	कुलनाम (सरनेम)	नाम
2.	वर्तमान पूरा पता – (अर्थात् ग्राम, थाना तथा जिला या घर क्रमांक, गली/मार्ग/सड़क तथा नगर और राज्य जिसमें वह स्थित हो)।		
3.	(क) घर का पूरा पता—(अर्थात् ग्राम, थाना तथा जिला या घर क्रमांक, गली/ मार्ग /सड़क तथा नगर और जिला मुख्यालय का नाम और राज्य जिसमें वह स्थित हो) (ख) यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हों तो उस देश में आपका पता तथा भारतीय संघ में प्रवजन की तारीख।	(क)	(ख)

4. निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे, जहां आप पिछले पांच वर्षों के दौरान एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों? यदि विदेश (जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है) में रहे हों तो उन सभी स्थानों के ब्यौरे दिये जाने चाहिये जहां आप 21 वर्ष की आयु के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों :

से	तक	निवास का पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना, जिला अथवा घर क्रमांक, गली/मार्ग/सड़क तथा नगर)	पूर्ववर्ती खाने में उल्लिखित स्थान के जिला मुख्यालय का नाम तथा वह राज्य जिसमें वह स्थित हो।
1	2	3	4

5. पिता का – (क) पूरा नाम तथा उपनाम यदि कोई हो (ख) वर्तमान डाक- पता (यदि स्वर्गवास हो गया हो तो पिछला पता दीजिए) (ग) घर का स्थाई पता (घ) व्यवसाय (ङ) यदि किसी सेवा में हो तो उनका पदनाम तथा कार्यालय का पता दीजिए	(क) (ख) (ग) (घ) (ङ)
6. (एक) नीचे उल्लिखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता – (क) पिता (ख) माता (ग) पति/पत्नी (घ) उम्मीदवार (दो) पति/पत्नी का जन्म स्थान–	(क) (ख) (ग) (घ) दो
7. (क) जन्म तारीख (ख) वर्तमान आयु (ग) मेट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु	(क) (ख) (ग)
8. (क) जन्म स्थान, जिला तथा राज्य जिसमें वह स्थित हो। (ख) वह जिला तथा राज्य जहां के आप निवासी हों।	(क) (ख)
9. (क) आपका धर्म (ख) क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं? "हां या नहीं" में उत्तर दीजिए और यदि आपका उत्तर हां में हो तो उस जाति विशेष का नाम लिखिए।	(क) (ख)

10. शैक्षणिक अर्हताएं- वर्ष सहित उन स्थानों के नाम दीजिए जहां आपने शालाओं और महाविद्यालयों में 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो :

शाला/महाविद्यालय का नाम तथा पूरा पता	प्रवेश की तारीख	शाला/महाविद्यालय छोड़ने की तारीख	उत्तीर्ण परीक्षा
1	2	3	4

11. यदि आप कभी नियोजित रहे हों तो तत्संबंधी ब्यौरे दीजिए –

धारित पद का नाम या कार्य का स्वरूप	अवधि से तक	कार्यालय, फर्म अथवा संस्था का पूरा पता	पिछली सेवा छोड़ने का कारण
1	2	3	4

<p>12 (क) क्या आप कभी गिरफ्तार किये गये हैं, क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है, क्या आप कभी निरुद्ध किये गये हैं या आप से मुचलका लिया गया है, आप पर जुर्माना किया गया है, क्या आप किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं, या आपको किसी भी लोक सेवा आयोग अथवा किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा या उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं/किये जाने वाले चयनों में सम्मिलित होने से वर्जित किया गया है, उसके लिए अनर्ह ठहराया गया है या क्या आपको किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित किया गया है/ निष्कासित किया गया है?</p>	
<p>(ख) क्या इस अनुप्रमाणन-फार्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है? यदि (क) अथवा (ख) में पूछे गये प्रश्नों के संबंध में आपके "उत्तर" हां में हो तो आपको इस अनुप्रमाणन-फार्म भरते समय मामले, गिरफ्तारी, निरोध/जुर्माने दोष सिद्धि तथा दण्डादेश आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करना चाहिये तथा इस फार्म को भरते समय न्यायालय/विश्वविद्यालय/शैक्षणिक प्राधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लंबित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिए। इस जानकारी के अतिरिक्त जहां लागू हों, वहां निम्नलिखित ब्यौरे भी दिये जाएंगे :-</p> <p>(एक) अपराध/आरोप</p> <p>(दो) पुलिस थाने में पंजीयन</p> <p>(तीन) यदि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय का नाम।</p> <p>(चार) मामले का क्रमांक न्यायालय द्वारा उनका निपटारा किस तारीख को किया गया।</p> <p>(पांच) दिया गया दण्ड</p>	<p>(एक)</p> <p>(दो)</p> <p>(तीन)</p> <p>(चार)</p> <p>(पांच)</p>

(छः) क्या दोषमुक्त कर दिया गया? (सात) दोषमुक्त संदेह के लाभ पर आधारित है या मामला वापिस ले लिया गया था।	(छः) (सात)
(ग) क्या आप किसी ऐसे संगम या संगठन जो सरकार द्वारा विधि विरुद्ध घोषित किया गया था, अथवा किया गया है, के सदस्य है, या उससे सहयोजित रहे हैं? यदि ऐसा हो तो पूर्ण प्रविष्टियां दें, जैसे संगम/संगठन का नाम, सदस्यता अथवा सम्बद्धता की कालावधि/अवधि/इत्यादि तारीख.....स्थान	उम्मीदवार के हस्ताक्षर
13. आपको मोहल्ले के ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों या दो निर्देशियों (रेफरियों) के नाम, जो आपको जानते हों	
	1..... 2.....

मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूर्ववर्ती जानकारी, जहां तक मुझे पता है और जहां तक मेरा विश्वास है, सही और पूर्ण है। मैं ऐसी किन्हीं भी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ, जिनके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिए मेरी उपयुक्तता क्षीण होती हो। मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि उपर्युक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जावे तो नियुक्ति प्राधिकारी को, बिना सूचना दिये या बिना कारण बताएं, मेरी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बन्धनकारी होगा।

mEhnokj ds gLrk{kj

तारीख..... स्थान

igpku iek.k & i=

(प्रमाण-पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक के हस्ताक्षर होना चाहिए, इसके अलावा किसी और के हस्ताक्षर मान्य नहीं किए जाएंगे। तथा इस संबंध में आगे कोई लिखा पढ़ी नहीं की जायेगी।)

(एक) केन्द्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी, (दो) संसद या राज्य विधान मंडल का सदस्य, (तीन) सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/अधिकारी, (चार) तहसीलदार या नायब तहसीलदार, जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हो, (पांच) शासकीय तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य तथा प्रमुख, (छः) खंड विकास अधिकारी, (सात) पोस्ट-मास्टर, (आठ) पंचायत निरीक्षक।

